

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायणा 14, 1936

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014

फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं. फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई तारीख 2 जून, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 2 जून, 2014 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 जून, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में सामान्य खाद्य नमक से संबंधित विनियम 2.9.30 के उपविनियम (5) में,-

(क) "शुष्क आधार पर न्यूनतम 99.0 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड" शब्दों और अंकों के पश्चात् जब सुदृढीकरण के लिए लौह सल्फेट का उपयोग किया जाता है, जब सुदृढीकरण के लिए संपुटित रूप में लौह फ्यूमरेट का उपयोग किया जाता है शुष्क भार के आधार पर न्यूनतम 98 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड अंतर्वस्तु शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उसमें विनिर्दिष्ट मानकों में,-

(i) 'P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> के रूप में फास्फोरस' से संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"प्रति दस लाख में 3100 भाग से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) '5 प्रतिशत जलीय विलयन में पीएच मूल्य' के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी।

"3.5 से 7.5"

(ग) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु परिशिष्ट क में अनुज्ञात खाद्य खाद्य योजक और हाइड्रोक्सिड प्रोफिल मिथाइल सेलूलोज। टाइटेनियम डाइआक्साइड, पूरी तरह से हाइड्रोजनिकृत सोयाबीन तेल तथा सोडियम हेक्सासैटाफास्फेट (सभी खाद्य श्रेणियां) जीएमपी से अनधिक संकेन्द्रित तथा शुष्क भार आधार पर दो प्रतिशत से अनधिक एंटीकेकिंग एजेंट और जल में घुलनशील पदार्थ जहां एंटीकेकिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है 2.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[ विज्ञापन III/4/असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किया गया:-

1. फां. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013।
2. फां. सं. पी.15014/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013।
3. फां. सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2014

**F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI.**- Whereas the draft of certain regulation to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI dated the 2nd June, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 2nd June, 2014, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd June, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

1 (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.9.30 relating to 'EDIBLE COMMON SALT', in sub-regulation (5),-

(a) after the figures and words, "99.0 percent sodium chloride content on dry weight basis", the words and figures "when ferrous sulphate is used for fortification; minimum 98 per cent sodium chloride content on dry weight basis when ferrous fumarate in encapsulated form is used for fortification" shall be inserted;

(b) in the standards specified therein,-

(i) for the entry against 'Phosphorous as  $P_2O_5$ ', the following entry shall be substituted, namely:-

"not more than 3100 parts per million" shall be substituted;

(ii) for the entry against 'pH value in 5% aqueous solution', the following entry shall be substituted;

"3.5 to 7.5"

(c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely

"Provided that double fortified salt may contain food additives permitted in Appendix A and Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Titanium dioxide, fully Hydrogenated Soyabean oil and Sodium hexametaphosphate (all food grades) at concentration of not more than GMP and anti-caking agent not more than 2.0 per cent on dry weight basis, and the water insoluble matter wherein anti-caking agent is used shall not exceed 2.2 percent"

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./187-O/14]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.
2. F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013.
3. F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013.